

सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1955 के नियम 10 के अधीन चल सम्पति की घोषणा फार्म

सरकारी कर्मचारी का नाम तथा पद संज्ञा.....

पता

दिनांक

(क) (एक) नकदी जेवर, सोना-चांदी (बुलियन), बैंक जमा बीमा पालिसी, हिस्से प्रतिभूतियां तथा डिवैचर (दो) मोटरकार, मोटर साईकल, घोड़े और/ या वाहन के अन्य साधन (तीन) प्रशीतक (चार) दूध देने वाले पशु ।

क्रम सं०	मदों का विवरण	मूल्य	सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्य और बेनामदार (यदि कोई हो) का नाम जिसके नाम पर परिसम्पति रखी हुई है।	वर्ष के दौरान नए अभिग्रहण की तिथि तथा ढंग	विशेष कथन

दिया गया कर्जा क्या ले लिया गया है या नहीं/यदि ले लिया गया है, प्रतिभूति की किस्म अर्थात् सहित या बिना जेवर साधारण प्रोनोट या बन्धक करारनामे

क्रम सं०	कर्जे और राशियां	यदि कर्जा ले लिया हो तो अनुकमानित मूल्य के साथ प्रतिभूति की किस्म	सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्य का नाम जिसने कर्जा दिया	कर्जदार का ब्यौरा सहित नाम	कर्जे के अन्य ब्योरों सहित तिथि	विशेष कथन

नोट:- सरकारी कर्मचारी के परिवार का सदस्य वाक्य की व्याख्या सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1955 के नियम 2 (2) में दी गई परिभाषा अनुसार की जाएगी ।

परिशिष्ट-॥

घोषण द्वारा अचल सम्पति उसके एवं
उसके परिवार सदस्यों

टिप्पणी (1) स्थाई भूमि के सारे हित, मालीयत, रहन अथवा मारुति कच्चे दर्ज होने चाहिएं तथा कस्बों के निवास घर भी ।

(2) सरकारी कर्मचारियों के पारिवारिक सदस्यों जो कि सरकारी कर्मचारियों के आचरण नियमावली, 1955 के नियम 2

(2) तथा प्रत्येक का क्षेत्र दिखाते हुए यदि क्षेत्र काशनी हो तो जमीदार का नाम भी होना चाहिए ।

(3) पारिवारिक क्षेत्र के सम्बन्ध में भी विवरण में अलग-अलग संकेत दिया जाना चाहिए ।

किस जिले, तहसील तथा गांव में स्थित है	क्षेत्रफल एवं कर निर्धारण सहित जोत का विवरण	कब और कैसे प्राप्त हुई (जैसा कि उत्तराधिकारी, पुनः दान, खरीद इत्यादि)

कर्मचारी के हस्ताक्षर